

निवासु

शोधार्थी, इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा।

डॉ. नीलम रानी

सहायक प्रोफेसर, इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा।

डॉ. विष्णु भगवान

प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा।

शोध-सार

चौधरी देवी लाल के प्रशासनिक विचार मुख्य रूप से लोक-कल्याण, “ग्रामीण विकास और प्रशासन के विकेन्द्रीकरण” पर आधारित थे। भारत के पूर्व उप-प्रधानमंत्री और हरियाणा के दो बार मुख्यमंत्री रहे “ताऊ” देवी लाल का मानना था कि असली भारत गाँवों में बसता है, इसलिए देश का प्रशासनिक ढांचा भी ग्रामीण-केंद्रित हाने चाहिए। वे एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे के प्रबल पक्षधर थे जो समाज के कमजोर उपेक्षित और पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाए। प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न नीतियां चलाई। वे केन्द्रीकृत व्यवस्था की बजाय “जनता की सरकार, जनता में दरबार” की विचारधारा में विश्वास रखते थे तथा “प्रशासन” में भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए भी मुहिम चलाई। चौ. देवीलाल एक ऐसे प्रशासन का निर्माण करना चाहते थे जिसमें गरीब, मजदूर वर्ग, किसान, महिला वर्ग आदि का सर्वांगीण विकास हो।

मुख्य शब्द : जनता, सरकार, प्रशासन, चौ.देवी लाल, अधिकारी, जनता-दरबार।

शोध उद्देश्य :-

- चौ. देवीलाल के प्रशासनिक विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
- जनता की सरकार, जनता के दरबार की अवधारणा के प्रशासनिक महत्व का अध्ययन करना।
- ग्रामीण विकास एवं प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में चौ. देवीलाल के दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करना

शोध पद्धति :-

प्रस्तुत शोध मुख्यतः गुणात्मक, वर्णात्मकों एवं विश्लेषणात्मक शोध की पद्धति पर आधारित है। अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का वर्णन किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में हम उनके समय के अभिलेखागार स्रोत, लोकसभा व विधानसभा डिबेट्स, समाचार-पत्र, भाषण व द्वितीय स्रोतों में पुस्तकों का प्रयोग किया गया है। उपलब्ध सामग्री

का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन कर चौधरी देवी लाल के प्रशासनिक विचारों तथा उनके प्रशासनिक योगदान का मूल्यांकन किया गया है।

शोध-पत्र

हरियाणा का गठन 1 नवंबर, 1966 को हुआ जिसके प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बने तथा लगातार संघर्ष के पश्चात् चौ० देवी लाल 21 जून, 1977 से 28 जून, 1979 तथा 20 अगस्त, 1987 से 2 दिसम्बर, 1989 के समय में मुख्यमंत्री बने।ⁱ

इन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान तथा मुख्यमंत्री बनने तक प्रशासन को सुधारने के लिए कार्य किए। इन्होंने आजादी से पहले भी भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए मुहिम चलाई तथा कुछ बड़े अधिकारियों को छोड़कर अधिकतर कर्मचारी अपने वेतन से पांच से दस गुणा अधिक ऊपर की कमाई कर लेते थे, विशेषकर उन गांवों के पटवारी जहां जमीनों के झगड़े चल रहे थे वे अपने को तहसीलदार से कम नहीं समझते थे। वह एक अधिकार के रूप में रिश्वत लेते थे।ⁱⁱ हरदेवसहाय और देवीलाल ने सितम्बर 1937 के अपने डबवाली उप-तहसील दौरे में पायाⁱⁱⁱ कि जहां तहसीलदार व थानेदार हजारों रुपये कमा रहे थे, वहां पटवारी और सिपाही की भी ऊपरी कमाई सैंकड़ों से कम नहीं थी, जिससे कर्मचारियों के लिये उनका क्षेत्र सोने की खान बना हुआ था, कोई भी कर्मचारी यहां से जाना नहीं चाहता था। दोनों नेताओं ने जिलाधीश हिसार से मिलकर डबवाली में ईमानदार अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया, जिससे वहां चारों ओर फैले भ्रष्टाचार पर रोक लग सके।^{iv} इसी सम्बन्ध में देवीलाल ने रामरिख के साथ मिल कर गांवों का दौरा किया तथा लोगों को रिश्वत न देने के लिये कहा। 8 जनवरी 1938 को गंगा गांवा में आयोजित, सिरसा तहसील सम्मेलन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रस्ताव भी पास किया^v तथा उनके कहने पर साहबराम ने पुलिस अधीक्षक हिसार पुलिस में फैले भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित किया।^{vi} देवीलाल और उनके साथियों द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाये इस आन्दोलन के कारण सभी पुलिस व सिविल अधिकारी एवं कर्मचारी उनके शत्रु बन गये। जुलाई 1945 में नेकीराम शर्मा की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें साहबराम व देवीलाल भी सम्मिलित हुये। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर पंजाब सरकार का ध्यान सरकारी विभागों, विशेषकर नागरिक आपूर्ति विभाग में फैले भ्रष्टाचार की ओर दिलाते हुये सुधार करने का अनुरोध किया।^{vii} इन प्रस्तावों व प्रयासों के बावजूद भ्रष्टाचार जारी रहा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देवीलाल ने पंजाब विधानसभा के सदन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुये बताया कि लोगों को अपने साधारण कामों के लिये भी अधिकारियों की जेब गर्म करनी पड़ती थी।^{viii} जब 1977 में वह मुख्यमंत्री बने तो उनके दो-सूत्रीय कार्यक्रम का पहला चरण था भ्रष्टाचार बन्द और दूसरा था बिजली-पानी का प्रबन्ध।^{ix} उन्होंने सदन को बताया कि यदि कोई 100 रुपये की भी घूसखोरी पकड़वाने में सहायता करेगा, तो उसे

सरकार से 500 रुपये इनाम मिलेगा।^x उन्होंने विरोधी दलों से भी भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये सहयोग मांगा, तथा सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि प्रत्येक दिन एक घण्टा बाहर बैठकर लोगों की शिकायतें सुनें, तथा उनकी समस्याओं का समाधान करें। जिला स्तर पर तथा प्रान्तीय स्तर पर लोगों की शिकायतें सुनने के प्रबन्ध किये गये।

भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार करते हुए देवीलाल ने रोहतक के श्रीराम शर्मा की अध्यक्षता में गैर-सरकारी सतर्कता कमेटी नियुक्त की। जिससे सामान्य जीवन में से भ्रष्टाचार को उखाड़ा जा सके और कर्मचारियों में भ्रष्ट तत्वों पर नजर रखी जा सके।^{xi}

चौ. देवीलाल ने 1977 में हरियाणा की बागडोर सम्भालने के बाद प्रदेश की जनता की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने के उद्देश्य से 'खुला दरबार' कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याओं का उनके घर बैठे समाधान करना है।^{xii} अब जनता को अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए राजधानी के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। बल्कि सरकार खुद चलकर विभिन्न स्थानों पर जनता दरबार लगाती है। चौ. देवीलाल न केवल खुद, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता दरबार कार्यक्रमों में भाग लेते थे बल्कि अपने मन्त्रीमण्डल के सभी सहयोगियों को भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मौके पर जनता की समस्याओं को हल करने के लिए भेजते थे। इस कार्यक्रम के अनुसार सभी जिलों में उपायुक्त तथा अन्य जिला अधिकारी हर महीने किसी न किसी गांव में कम से कम एक शिविर लगाने लगे। इन शिविरों में मौके पर ही अनेक समस्याओं का समाधान किया जाता था जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल सर्टीफिकेट, पिछड़ा क्षेत्र सर्टीफिकेट, पिछड़ा व अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, विभिन्न विभागों से ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्र, बिजली बिलों, टेलीफोन सम्बन्धी गलतियों को ठीक करवाना आदि औपचारिकताओं को मौके पर ही पूरा किया जाता था। चौ. देवीलाल इस मामले में नियम तथा समय के पाबन्द थे। अधिकतर शिकायतों को वह व्यक्तिगत रूप से सुनते थे।^{xiii}

चौ. देवीलाल आम जनता की तकलीफों के प्रति बहुत संवेदनशील थे इसलिए वह जनता को अफसरशाही की प्रताड़ना से मुक्त रखना चाहते थे। वह कहते थे जब ये अफसर लोग अपने वातानुकूलित कार्यालयों में पर्दों के पीछे बैठे होते हैं तो मुझ जैसे व्यक्ति को भी इनसे बात करने में घबराहट होती है तो फिर आम आदमी को तो कितनी परेशानी होती होगी। इसलिए "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के द्वारा वह अफसरशाही को शहर के वातानुकूलित कार्यालयों से बाहर निकालकर गांव की खुली चौपालों में और भरी दोपहरी में पेड़ों के नीचे ले आए।^{xiv} इस प्रकार चौ. देवीलाल ने प्रशासन में सुधार किये और लोगों के प्रशासनिक कार्यों को आसानी से सुलझाने का कार्य किया।



xv

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि चौधरी देवी लाल के प्रशासनिक विचार किसी किताबी सिद्धांत पर नहीं, बल्कि उनके जमीनी अनुभवों पर आधारित थे। उनका मानना था कि प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य समाज के प्रति पायदान पर खड़े व्यक्ति (किसान, मजदूर और बुजुर्ग) का उत्थान होना चाहिए। देश के 80 प्रतिशत से अधिक लोग गाँवों में बसते हैं, इसलिए देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक नीतियाँ वही होनी चाहिए, जिनसे गाँवों का विकास हो सके और गाँववासियों का भला हो, उन्हें रोजगार के बेहतर और अधिक अवसर मिल सकें तथा उन्हें भी वे ही सुविधाएँ प्राप्त हों जो शहरों व नगरों में रहने वाले लोगों को प्राप्त हैं। चौ. देवीलाल ग्रामीण प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका लगाव पूंजीपति से न होकर गाँव के किसान वर्ग से ज्यादा था। इसलिए वे ग्रामीण समाज की समस्याओं को बेहतर समझते थे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- ⁱ झम्ब, चमन लाल, *चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा*, अरुण पब्लिशिंग हाऊस प्राइवेट लिमिटेड, चण्डीगढ़, 2001, पृ. 138

- ii ग्राम सेवक, 15 सितम्बर, 1937
- iii वही, 30 सितम्बर, 1937
- iv वही
- v वही, 15 जनवरी, 1939
- vi वही, 31 मई, 1939
- vii द ट्रिब्यून, 20 सितम्बर, 1945
- viii पंजाब विधानसभा डिबेट्स, खण्ड-1, 28 फरवरी, 1963, पृ. (5), 78-79
- ix हरियाणा विधानसभा डिबेट्स, खण्ड-1, 1 फरवरी, 1978, पृ (3), 72
- x वही, खण्ड-1, 10 मार्च, 1978, पृ. (10), 84-86
- xi वही, खण्ड-1, 26 मार्च, 1978, पृ. (16), 98
- xii ढाका, रणवीर व ढाका, सुमिता, *जननायक का सफरनामा*, स्पैलबाउण्ड प्रकाशन, रोहतक, 2001, पृ. 121
- xiii वही, पृ. 122
- xiv वही, पृ. 122
- xv वही, पृ. 130